न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : देवयानी, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 157/2019

GCMS NO. : 2019/00242

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. कैलाश दत्तक पुत्र स्व. गंगाराम जाति– मेघवाल, निवासी– निम्बोल, तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0।		1. सुकड़ी पत्नी स्व. गंगाराम 2. विमला पुत्री स्व. गंगाराम 3. सुमित्रा पुत्री स्व. गंगाराम जाति मेघवाल निवासी निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली। 4. तहसीलदार जैतारण। 5. उपपंजीयन अधिकारी कार्यालय तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 **तारीख रजू:– 21.10.2019**

उपस्थितः–

1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय :: **दिनॉकः–07/11/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल स्व. गंगा पुत्र कालू का बतौर विधिक वारिसान उत्तराधिकारी है तथा स्व. गंगाराम ने अपने जीवनकाल में ही सायल को बतौर सामाजिक रीति रिवाज के बचपन में ही सामाजिक प्रथा एवं रूढी के अनुसार गोद ले लिया था तथा अपने जीवित काल में ही वादी को बतौर पुत्र रखा सायल ने अपने पुत्र होने के सभी धर्म कर्म रीति रिवाजो को निभाया स्व. गंगाराम ने अपने जीवित काल में ही सायल को अपना गोदपुत्र एवं दत्तक पुत्र मानकर सामाजिक रीतिरिवाज अनुसार समाज बिरादरी आदि में अपने पुत्र होने का दर्जा दिया था। स्व. गंगाराम जी के देहान्त के समय सभी धर्म कर्म रीति रिवाज पिण्डदान आदि माफिक सामाजिक रीति रिवाज के बतौर विधिक वारिसान उत्तराधिकारी के तहत बतौर गोद पुत्र के सभी कार्यो को समाज बिरादरी आदि के समक्ष पूर्ण कर अपने पुत्र होने का कर्तव्य निभाया। सायल बचपन से ही स्व. गंगाराम जी के साथ बतौर पुत्र रहवास करता रहा तथा उनकी सेवा चाकरी करता था तथा सभी सम्पतियो की देखरेख सार सम्भाल करता रहा है वादी ने अपने जीवीत काल में ही सभी आराजी को बतौर पुत्र के प्राप्त कर उसका उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के करता रहा है तथा स्व. गंगाराम के आराजी में ही सायल ने एक नवनिर्मित मकान बनाकर उसमें रहवास करता आ रहा है जिसे सायल ने अपने स्वयं के खर्चे से निर्मित करवाया है। सायल के पिता स्व. गंगाराम के देहान्त होने पर बतौर गोद पुत्र के सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल के खसरा संख्या 695 रकबा 2–16 बीघा कृषि भूमि में बतौर गोद पुत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2022.11.26 10:18:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

हक हिस्से की सीमा तक बतौर विधिक उत्तराधिकारी फौतेदगी नामान्तरणकरण विधिक वारिसानो की श्रेणी में होते हुए करवाने का निवेदन पटवारी हल्का निम्बोल से किया तो पटवार हल्का ने तहसीलदार जैतारण को प्रार्थना पत्र पेश करने का कहा जिस पर सायल ने इस आशय का प्रार्थना पत्र तहसीलदार जैतारण को पेश की लेकिन फिर भी सायल का बतौर गोद पुत्र फौतेदगी नामान्तरकरण अपने पिता की सम्पति में नही हो पाया है। इस दरमियान प्रतिवादीगण संख्या ने उक्त सम्पतियो को बेईमानी से हड़पने की नियत से एवं खुर्द बुर्द करने की नियत से बिना बंटवाड़ा करवाये एवं बिना फौतेदगी दर्ज करवाये ही वादी के हक अधिकारो को नुकसान पहुंचाने की नियत से प्रतिवादीगण नियतबद होकर सायलान के हक हिस्से की सम्पति को रहन बैचान हसतान्तरण करने की योजना बना रहे है। तथा वर्णित आराजी ग्राम आबादी निम्बोल के पास ही स्थित होने के कारण प्रतिवादीगण बेईमानी पूर्वक हड़पने की नियत रख रहे है तथा मुख्य भू भाग को रहन बैचान बक्सीस करने की योजना बना रहे है जबकि वादी अपने हक अधिकारो के तहत उक्त सम्पति से अपने दत्तक अधिकारो के तहत एवं विधिक व साम्पैतिक अधिकारो के तहत अपने नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध गैरसायलान के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। गैरसायलान नियम बद हो चुके है तथा मौका पाकर उक्त सम्पति के मुख्य भू भाग को बैचान करने पर आमादा है तथा किसी अजनबी क्रेता तथा भूमाफिया को बैचान करने पर आमादा है तथा दिनांक 11.10.2019 को गैरसायलान ने ऐलानिया कथन किया कि उक्त सम्पति को हम तुम्हारा नाम डलवाने बिना ही बैचान कर देंगे। अगर गैरसायल अपने इस नापाक इरादो में कामयाब हो जाता है तो वादी को अपने साम्पैतिक व विधिक अधिकारो एवं दत्तक अधिकारो के तहत आई सम्पति से महरूम होना पड़ेगा गैरसायलान ने षड़यंत्र व साजिश रच कर मेरे से आपसी लेनदेन बाबत् स्टाम्प खरीद करवाया लेकिन उस पर क्या लिखा मुझे बताया नही न ही नकल फोटो प्रति मुझे दी जिससे सायल को संशय है कि उक्त स्टाम्प पर प्रतिवादी षड़यंत्र व साजिश रचकर मेरी उक्त सम्पति को हड़पने की योजना बना ली है इसलिए इन तमाम अवैधानिक कृत्यो से रोका जाना आवश्यक होने से सायलान के पास गैरसायलान के ऐसे अवैधानिक कृत्यो को रोकने एवं मौके पर सायल के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से रोकने से सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के सादर पेश है। सायल का प्रथम दृष्टया मामला मजबूत है व सुविधा का संतुलन भी सालय के पक्ष में है तथ्यो परिस्थितियो व दस्तावेजात के अनुसार भी सायल का मजबुत मामला है। सायल स्व. गंगाराम का बतौर विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है तथा गंगाराम ने अपने जीवनकाल में ही सायल को सामाजिक रीति रिवाज अनुसार रूढी के अनुसार गोद ले लिया था। तथा सायल बचपन से ही स्व. गंगारामजी के साथ बतौर रहवासी रहकर सेवा चाकरी करता रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2022.11.23 10:48:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। वकील अप्रार्थीगण जवाब पेश करते हुए कथन किया कि सायल को गैरसायल संख्या 1 व उसके पति द्वारा विश्वास में आकर पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 08.07.2011 को सायल के पक्ष में निष्पादित किया था लेकिन सायल द्वारा गोद जाने के बाद गैरसायल संख्या 01 व उसके पति की सेवा चाकर बतौर पुत्र के नही की, उनकी हारी बिमारी में कोई सेवा चाकरी नही की, तब ऐसी विषम परिस्थितियो में गैरसायल संख्या 01 सुकड़ी की सेवा उसकी दोनो बेटीया गैरसायल संख्या 02 व 03 विमला व सुमित्रा द्वारा की गई थी तथा गैरसायल संख्या 01 सुकड़ी द्वारा सायल को अपना गोदपुत्र नही रखना चाहते तथा धोखे से करवाये गये तथाकथित पंजीकृत गोदनामा को गैरसायल संख्या 01 सुकड़ी ने श्रीमान अपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जैतारण के न्यायालय में चैंलेज कर रखा है जो वाद विचाराधीन है। जो वाद संख्या 25/2019 बअनवान सुखी देवी बनाम कैलाशचंद्र वगैरा है तथा इस वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी सुकड़ी देवी ने पेश किया जो मेरीट पर सुनवाई होकर गैरसायल संख्या 01 सुकड़ी के पक्ष में स्वीकार किया गया। जिसमें अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जैतारण ने यह आदेशित किया है कि सुकड़ी की तमाम चल व अचल सम्पति में कैलाश बतौर दत्तक पुत्र के किसी प्रकार का कोई रद्धोबदल या अन्य हस्तान्तरण नही कर सकेगा। इस प्रकार सायल गैरसायल संख्या 01 का कोई गोदपुत्र नही रहा है तथा न ही बतौर गोदपुत्र के गैरसायलान की सम्पति में कोई हक हिस्सा रखता है। स्वर्गीय गंगाराम का देहान्त दिनांक 08.08.2019 को हुआ था उस समय गंगारामजी के बाहरवे का तमाम खर्चा सामाजिक रीति रिवाज से क्रियाकम व 12वां का खर्चा उसकी जायन्दा पुत्री गैरसायल संख्या 02 विमला देवी व गैरसायल संख्या 03 सुमित्रा ने 02 लाख रूपये का वहन किया था तथा सालय ने न तो बतौर गोदपुत्र होने के नाते कोई क्रियाकम बाबत् या अन्य कोई 12वें बाबत् कोई रस्म अदा की है तथा न ही सायल गैरसायलान संख्या 01 को गोदपुत्र है। सायल को गैरसायल संख्या 01 सुकड़ी व उसके पति ने बचपन में गोद नही लिया था गोदनामा दिनांक 08.07.2011 को पंजीबद्ध करवाया गया था उस समय सायल कैलाश की उम्र 30 वर्ष थी जो पंजीबद्ध गोदनामा से स्पष्ट है इसलिए सायल द्वारा यह कथन करना कि मुझे बचपन से ही स्वर्गीय गंगाराम जी ने बतौर पुत्र के साथ रखा के कथन गलत व मनगढत है तथा सायल 30 वर्ष की उम्र में गोद आया था जो कानूनन गोद नही माना जा सकता। कानूनन गोद आने की बाल्यावस्था होती है लेकिन सायल व उसके पिता [illegible] 01 सुकड़ी व उसके पति के साथ विश्वास में लेकर धोखा करते हुए [illegible] गोदनामा निष्पादित करवाया ताकि [illegible] हड़प कर सके। अगर सायल गैरसायल संख्या 01 सुकड़ी [illegible] गैरसायल संख्या 01 सुकड़ी की सेवा वास्तविक रूप से गोद जाता तो अवश्य [illegible] गैरसायल संख्या 01 सुकड़ी की सेवा चाकरी करता था तथा तथाकथित गोदनामे भी उसकी जायन्दा पुत्री गैरसायल संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2022.11.23 10:48:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

02 व 03 की सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करवाता। इस प्रकार यह स्वीकृत शुदा स्थिति है कि तथाकथित गोदनामा सायल के बचपन में निष्पादित किया हुआ नही है तथा न ही सायल गोदपुत्र की तरह गैरसायलान के साथ रहा है ऐसी स्थिति में सायल को गोदपुत्र नही माना जा सकता तथा न ही स्वर्गीय गंगाराम व उसकी पत्नी गैरसायल संख्या 01 सुकड़ी व पुत्रीया गैरसायल संख्या 02 व 03 के साथ सायल का व्यवहार गोदपुत्र जैसा रहा है। ऐसी स्थिति में सायल इनकी सम्पति में कोई हक हिस्सा व अधिकार नही रखता है तथा न ही गंगाराम की आराजी में सायल ने कोई नवनिर्मित मकान बनाया है तथा उसमें रहवास भी नही किया है उक्त मकान गैरसायल संख्या 01 के पति गंगारामजी ने अपने जीवनकाल में बनाया था जिसमें गैरसायलान संख्या 01 सुकड़ी वर्तमान में आवास रहवास कर रही है। इसके अलावा अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। जब सायल गैरसायल संख्या 01 व उसके पति की सेवा चाकरी नही की तथा न ही बतौर गोदपुत्र के साथ रहा है तो गोदपुत्र कहलाने का अधिकार नही है तथा गैरसायल संख्या 01 व उसके पति गंगाराम को मुगालते में रखकर तथाकथित गोदनामा दिनांक 08.07.2011 को पंजीकृत करवाया गया था जिसे गैरसायल संख्या 01 सुकड़ी ने न्यायालय में चैलेंज कर रखा है तथा गैरसायल संख्या 01 अपनी तमाम चल व अचल सम्पति पर काबिज है तथा मौजा निम्बोल में खसरा संख्या 695 रकबा 02-16 बीघा व खसरा संख्या 302 की आराजी में सायलया काबिज होकर काश्त कर रही है तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में स्वर्गीय गंगारामजी का नाम चला आ रहा है। सायल द्वारा जालसाजी पूर्वक तथाकथित पंजीबद्ध गोदनामे के आधार पर अपना नाम इन्द्राज करवाने हेतू राजस्व कर्मचारियो एवं अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किए लेकिन गैरसायल संख्या 01 सुकड़ी द्वारा तथाकथित पंजीबद्ध गोदनामा को चैंलेज करके स्थगन आदेश पारित करवा दिया जिससे सायल अपना नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही करवा सका। अगर गैरसायल संख्या 01 सुकड़ी द्वारा तथाकथित पंजीबद्ध गोदनामे को चैंलेज नही व स्थगन आदेश न्यायालय से प्राप्त नही करती तो अवश्य ही सायल जालसाजी पूर्वक गैरसायल की तमाम सम्पति में अपना हक अधिकार प्राप्त कर लेता। इस प्रकार जब तक सिविल न्यायालय द्वारा गोदनामा निरस्त करने के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही हो जाता तब तक सायल को इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई रिलीफ नही दी जा सकती तथा न ही सायल किसी प्रकार की गंगाराम की सम्पति में हक अधिकारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। गैरसायलान का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही हुआ है तो ऐसी स्थिति में गैरसायलान द्वारा खसरा संख्या 695 की आराजी का बैचान करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है तथा दिनांक 11.10.2019 को गैरसायलान ने ऐलानिया कथन किया कि उक्त सम्पति में हम तुम्हारा नाम डलवाये बिना ही बैचान कर [illegible] कथन मिथ्या, मनगढंत एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए वाद [illegible] लिखित से अंकित किए है। जबकि दिनांक 11.10.2019 से पहले गैरसायल संख्या 01 सुकड़ी देवी ने तथाकथित पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 08.07.2011 को चैलेंज करने हेतू वाद न्यायालय में पेश कर दिया था तथा सायल ने भी गैरसायलान के गोद नही रहने बाबत् स्पष्ट इंकार

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2022.11.23 10:48:53 IST
Reason: SelfAttested

कर दिया था जो सामाजिक स्तर पर समझाईस में सायल द्वारा स्पष्ट इंकार कर किया था। सायल स्वयं ने अपने नाम से स्टाम्प खरीदकर स्पष्ट रूप से यह लिखकर दिया है कि मैं आप गैरसायलान के गोद नही रहना चाहता हूं न ही आपकी सम्पति में हक हिस्सा लेना चाहता हूं जिससे भी यह साबित है कि सायल गैरसायलान के गोदपुत्र नही रहा है। इस प्रकार अब सायल द्वारा गोद नही रहने का लिखित में इकरार करने के बाद गैरसायलान की सम्पति में इस प्रार्थना पत्र के जरिए अपने नाम की घोषणा करवाता है तो गैरसायलान को सायल की बजाय असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी तथा सायल द्वारा गैरसायलान की कृषि भूमि में अवैध रूप से कब्जा कर गैरसायलान को बेदखल कर देता है तो गैरसायलान को असीम हानि होगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी सायल की बजाय गैरसायलान के पक्ष में बखुबी साबित है। इसलिए सायल गैरसायलान के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही होने से सायल द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम निम्बोल के खसरा संख्या 695 रकबा 2-16 बीघा के कानूनन घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि स्व. गंगाराम पुत्र कालु ने अपने जीवनकाल में ही सायल कैलाश को बतौर सामाजिक रिति रिवाज अनुसार गोद लेकर समाज बिरादरी आदि में अपने पुत्र होने का दर्जा दिया था। सायल स्व. गंगाराम के जीवनकाल में ही उनकी सभी सम्पतियो की देखरेख करता रहा तथा सभी आराजीयात् को बतौर पुत्र के प्राप्त कर उसका उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है। तथा स्व. गंगारामजी के देहान्त के समय सभी धर्म कर्म रिति रिवाज के बतौर विधिक वारिसान उत्तराधिकारी के तहत सभी कार्यो को पूर्ण कर अपने पुत्र होने का कर्तव्य निभाया। स्व. गंगाराम का देहान्त होने के उपरान्त सायल का बतौर गोद पुत्र के हक हिस्से तक विधिक उत्तराधिकारी फौतेदगी नामान्तरणकरण अपने दत्तक पिता की सम्पति में नही हो पाया। इसी दौरान प्रतिवादीगण ने उक्त सम्पतियो का बंटवाड़ा व फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करवाये बिना ही सायल के हक हिस्से की सम्पति व मुख्य भू भाग को रहन बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है। अतः प्रथम दृष्टयां मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा प्रार्थी द्वारा वर्णित कथनों का विरोध कर जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि गैरसायल संख्या 01 व उसके पति द्वारा एक पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 08.07.2011 को सायल के पक्ष में निष्पादित किया गया लेकिन सायल को गोद लेने के बाद सायल ने गैरसायल संख्या 01 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2022.11.23 10:48:53 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

उसके पति की सेवा चाकरी हारी बीमारी में बतौर पुत्र नही की। गैरसायल संख्या 01 द्वारा सायल को गोदपुत्र नही रखने तथा धोखे से करवाये गये पजीकृत गोदनामा को श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जैतारण के न्यायालय में चैलेंज कर रखा है। जो वाद संख्या 25/2019 बअनवान सुखी देवी बनाम कैलाशचन्द्र वगैरह है। तथा इस वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी गैरसायल संख्या 01 द्वारा पेश किया जिसे स्वीकार कर न्यायालय ने यह आदेशित किया कि सुकड़ी की तमाम चल च अचल सम्पति में कैलाश बतौर दत्तक पुत्र के किसी प्रकार का कोई रद्धोबदल या अन्य हस्तान्तरण नही कर सकेगा। इस प्रकार सायल गैरसायल संख्या 01 का कोई गोदपुत्र नही रहा है तथा न ही बतौर गोदपुत्र के गैरसायलान की सम्पति में कोई हक हिस्सा रखता है। गैरसायल संख्या 01 सुकड़ी व उसके पति स्व. गंगाराम ने सायल को बचपन में गोद नही लिया था बल्कि गोदनाम दिनांक 08.07.2011 को पंजीबद्ध करवाया गया था तत्समय सायल कैलाश की उम्र 30 वर्ष थी। इसलिए सायल को बचपन से ही स्व. गंगाराम जी ने बतौर पुत्र के साथ रखा के कथन असत्य व अस्वीकार है। सायल 30 वर्ष की उम्र में गोद आया था जो कानूनन गोद आने की उम्र नही थी इसलिए भी सायल बतौर गोदपुत्र नही माना जा सकता। जब तक सिविल न्यायालय द्वारा गोदनामा निरस्त करने के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही हो जाता तब तक सायल को इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की रिलिफ नही दी जा सकती तथा न ही सायल किसी प्रकार की गंगाराम की सम्पति में हक अधिकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है। सायल के दस्तावेज यथा राशन कार्ड व सभी रिकॉर्ड में कैलाशचंद पुत्र रतनलाल का अंकन है जो कि सायल के प्राकृतिक पिता है। सायल के एक भी दस्तावेज में सायल के पिता का नाम गंगाराम अंकित नही है। इसलिए सायल का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमावे।

वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख ग्राम निम्बोल की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 में गंगाराम पुत्र कालू कौम भांबी बतौर सहखातेदार दर्ज है। उपपंजीयक कार्यालय जैतारण में दिनांक 08.11.2022 को निष्पादित गोदनामा जिसमें गंगाराम पुत्र कालूराम व सुखीदेवी पत्नी गंगाराम ने कैलाश पुत्र रतनलाल गोदपुत्र गंगाराम जाति मेघवाल को गोद लिया गया है। जिस पर गंगाराम व सुखीदेवी के अंगुठा निशान है तथा गवाह के रूप में भीयाराम पुत्र ढगलाराम निवासी बैइकलां तथा शंकरलाल पुत्र पुनाराम माली निवासी निम्बोल के हस्ताक्षर है। इस प्रकार उपर्युक्त दिनांक 08.11.2022 को निष्पादित गोदनामा के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि गंगाराम पुत्र कालू व सुखी देवी पत्नी गंगाराम ने अपनी सहमति से सायल कैलाश को गोद लिया है। तथा गैरसायल संख्या 01 द्वारा पंजीकृत गोदनामा को श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जैतारण के न्यायालय में वाद संख्या 25/2019 बअनवान सुखी देवी बनाम कैलाशचन्द्र वगैरह द्वारा चैलेंज कर रखा है, जो कि विचाराधीन है। जिसके न्याय निर्णयन द्वारा ही गोदनामा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। तब तक गोदनामा जो कि उपपंजीयक कार्यालय जैतारण द्वारा पंजीकृत तथा गैरसायल संख्या 01 की सहमति द्वारा ही निष्पादित किया गया है। मूल वादपत्र के अनुतोष पर कोई टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि केवल कब्जे काश्त के आधार पर वारिसान का निर्धारण किया जाना विधि संगत नहीं हो सकता, साथ ही वादग्रस्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2022.11.23 10:48:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

के राजस्व रिकॉर्ड में फौतेदगी नामान्तरण दर्ज नही हुआ तथा गैरसायलान द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किया है जिससे कि स्पष्ट हो कि सायल द्वारा स्व. गंगाराम व गैरसायलान संख्या 01 की सेवा चाकरी व पुत्र होने का उत्तरदायित्व नही निभाया हो। अतः उपलब्ध दस्तावेजात् से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन :- चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित हुआ है, साथ ही वादग्रस्त आराजी मृतक गंगाराम के नाम ही दर्ज है, इस प्रकार उपर्युक्त दिनांक 08.11.2022 को निष्पादित गोदनामा के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि गंगाराम पुत्र कालू व सुखी देवी पत्नी गंगाराम ने अपनी सहमति से सायल कैलाश को गोद लिया है। तथा गैरसायल संख्या 01 द्वारा पंजीकृत गोदनामा को श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जैतारण के न्यायालय में वाद संख्या 25/2019 बअनवान सुखी देवी बनाम कैलाशचन्द्र वगैरह द्वारा चैलेंज कर रखा है, जो कि विचाराधीन है। जिसके न्याय निर्णयन द्वारा ही गोदनामा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। तब तक गोदनामा जो कि उपपंजीयक कार्यालय जैतारण द्वारा पंजीकृत है तथा गैरसायल संख्या 01 की सहमति द्वारा ही निष्पादित किया गया है। न्यायालय में वाद संख्या 25/2019 बअनवान सुखी देवी बनाम कैलाशचन्द्र वगैरह का निर्णय नही हो जाता तब तक प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में हक़ अधिकार निहित है, अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(03) अपूर्णनीय क्षति :- प्रथम दृष्ट्यां मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में मृतक गंगाराम के नाम ही दर्ज होने के कारण यह पूर्ण संभावना रहती है कि वादपत्र के निर्णय तक अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण एवं व्ययन किया जा सकता है जिससे की सम्भावना पूर्ण है कि अप्रार्थीगण द्वारा परस्पर बैचान एवं बक्शीश आदि किया जा सकता हैं। अतः ऐसी दशा में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी का व्ययन किया जा सकता है। जिससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है तथा इन सब से अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को ही होगी। अप्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि अगर उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती तो उन्हे किस प्रकार से अपूर्णीय क्षति हो सकती है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में भली-भांति साबित होने से प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का भी हित निहित होना निष्पादित गोदनामे के आधार पर स्पष्ट है जिससे यदि गैरसायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होना संभव है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस बाबत् पाबन्द [illegible] जाना आवश्यक एवं उचित होगा कि वे वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के [illegible] में दखलदांजी आदि नही करे व रहन बैचान हस्तान्तरण नही करे, [illegible] अभिलेख में परिवर्तन नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2022.11.23 10:48:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल के खसरा संख्या 695 रकबा 2–16 बीघा किस्म बारानी दोयम वर्तमान भू–अभिलेख में कोई परिवर्तन नही करे, रहन, बैचान हस्तान्तरण आदि नही करे तथा सायल के हक हिस्से की भूमि में किसी तरह की दखलन्दाजी नही करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 07/11/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2022.11.23 10:48:53 IST
Reason: SelfAttested